श्री राजेश कुमार, भा0प्र0से0, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा की अध्यक्षता में दिनांक 10.03.2025 को आयोजित संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ की पूर्व तैयारियों से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए प्रारंभ करते हुए निम्नलिखित बिन्दुओं पर समीक्षा की गईः-

1.वर्षा मापक यंत्रः-

अपर समाहर्त्ता, आपदा, प्रबंधन, सहरसा/सुपौल/मधेपुरा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार तीनों जिला में सामान्य वर्षामापी यंत्र (ORG) कार्यरत स्थिति में है। तीनों जिला में वर्षापात अभी तक सामान्य से भी काफी कम (नगण्य) है।

2.संभावित संकटग्रस्त क्षेत्र एवं व्यक्तिसमूहों की पहचानः-

समीक्षा के क्रम में अपर समाहर्त्ता, आपदा, प्रबंधन, सहरसा द्वारा बताया गया कि सहरसा जिला में कोशी तटबंध के अन्दर कुल 04 बाढ़ प्रवण अंचल हैं, जिसमें कुल 22 पंचायत पूर्ण रूप से तथा कुल 11 पंचायत आंशिक रूप से बाढ़ प्रभावित होते हैं। सुपौल जिला में कोशी तटबंध के अन्दर कुल 06 बाढ़ प्रवण अंचल हैं, जिसमें कुल 13 पंचायत पूर्ण रूप से तथा कुल 23 पंचायत आंशिक रूप से बाढ़ प्रभावित होते हैं। मधेपुरा जिला में कोई तटबंध नहीं हैं, किन्तु जल जमाव वाले कुल 04 अंचल चिह्नित किये गये है, जिसमें कुल 09 पंचायत आंशिक रूप से बाढ़ प्रभावित हो सकते हैं। इन क्षेत्रों के संकटग्रस्त व्यक्ति समूहों की पहचान कर ली गयी है।

3.तटबंधों की सुरक्षा-

समीक्षा के क्रम पाया गया कि सहरसा जिला के पूर्वी कोशी तटबन्ध की कुल लंबाई 54 कि0मी0 एवं पश्चिमी कोशी तटबंध की कुल लंबाई 12.09 कि.मी. है। तटबंध के सभी स्पर सुरक्षित है। समीक्षा के क्रम में यह भी बताया गया कि सुरक्षात्मक कार्य से संबंधित सामग्रियों का पर्याप्त भंडारण ससमय कर लिया जायेगा।

4.सूचना व्यवस्थाः-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि तीनों जिलों में सभी प्रखंडों के सरकारी पदाधिकारियों/ कर्मियों/जनप्रतिनिधियों का मोबाईल नम्बर अद्यतन कर सूची तैयार कर ली गयी है तथा ससमय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित कर लिया जायेगा।

5.बाढ़ के दौरान नाव की व्यवस्था एवं उपलब्धताः-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सहरसा जिला में 149 नाव का एकरारनामा प्रक्रियाधीन है। सुपौल जिला में कुल सरकारी नाव की संख्या 04 है, एवं निजी नावों की संख्या 298 है, जिसका ससमय एकरारनामा कर लिया जायेगा। तथा मधेपुरा जिले में एकरारनामा किये किये जाने के लिए श्रेणीवार नावों के भाड़े का दर निर्धारण हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज से प्रस्ताव की माँग की गई है।

6.चना सत्तू, चूड़ा, गुड़, नमक, खाद्य पदार्थ की व्यवस्थाः-

समीक्षा के क्रम में सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिला के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि बाढ़ राहत सामग्रियों यथा चना, सत्तू, चूड़ा, गुड़, नमक आदि खाद्य पदार्थो के क्रय/भाड़े के

दर निर्धारण एवं आपूर्तिकर्त्ता के चयन हेतु अल्पकालीन निविदा के प्रकाशन हेतु कार्रवाई की जा रही है।

7.पशुचारा एवं पशु दवा की व्यवस्थाः-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सहरसा जिले में पशु राहत शिविरों की संख्या-34 है, जिसके लिए कुल 32 प्रकार की पशु दवा सभी पशु चिकित्सालयों में उपलब्ध है। चिह्नित 34 पशु राहत शिविरों के लिए पशु चिकित्सक सहित 10 MVU एवं 01 Ambulatory Van उपलब्ध है। पशुचारा का दर निर्धारण अगले माह कर लिया जायेगा। सुपौल जिला अन्तर्गत संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ की स्थिति में प्रभावी ढंग से निष्पादन हेतु जिला पशुपालन कार्यालय के स्तर पर आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना करने का निदेश दिया गया है। पशु अस्पतालों में पर्याप्त पशु दवा उपलब्ध है। सुपौल जिला में बाढ़ राहत सामग्रियों का दर निर्धारण दिनांक 26.04.2024 को प्राप्त निविदा के आलोक में जिला क्रय समिति की बैठक द्वारा की जा चुकी है। साथ ही साथ पशु चारा से संबंधित भी निविदा की कार्रवाई दिनांक 25.05.2024 को पूर्ण हो चुकी है। मधेपुरा जिला में बाढ़ राहत सामग्रियों के क्रय/ भाड़े का दर निर्धारण एवं आपूर्तिकर्त्ता के चयन निविदा के माध्यम से पूर्ण कर लिया गया है।

8.पॉलीथीन शीट्सः-

समीक्षा के क्रम पाया गया कि सहरसा जिले में 20827 पॉलीथीन शीट्स उपलब्ध है, सुपौल जिला में 1925 पॉलीथीन शीट्स उपलब्ध है एवं 20000 पॉलीथीन शीट्स की अधियाचना नोडल जिला सहरसा से किया जाना है एवं सुपौल जिला में 10720 पॉलीथीन शीट्स उपलब्ध है।

9.बाढ़ आश्रय स्थल /शरण स्थलः-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सहरसा जिला में बाढ़ आश्रय स्थल की संख्या 63, चिह्नित कुल राहत शिविरों की संख्या -98 है। सुपौल जिला में संभावित बाढ़ 2025 को देखते हुए कुल 195 बाढ़ आश्रय स्थल एवं शरण स्थल चिह्नित किया गया है तथा मधेपुरा जिला में वर्ष 2025 के चिन्हित शरण स्थलों की संख्या 113 है।

10.सामुदायिक रसोईः-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सहरसा जिला में चिह्नित सामुदायिक रसोई केन्द्र की संख्या 59 है। सुपौल जिला में बाढ़ प्रभावित अंचलों में सामुदायिक रसोई का संचालन विभागीय निर्देश के आलोक में कर ली जायेगी। मधेपुरा जिला में वर्ष 2025 में संभावित बाढ़ एवं सुखाड़ के लिये चिह्नित सामुदायिक रसोई की संख्या 44 है।

11.मानव दवा की व्यवस्थाः-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सहरसा जिला के सभी चिकित्सा केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में जीवनरक्षक दवा के साथ-साथ बाढ़ से उत्पन्न महामारी से निपटने हेतु दवा उपलब्ध है। जिला मुख्यालय से चलन्त औषधालय गठित है एवं किसी भी आकस्मिकता से निपटने हेतु एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध है। सुपौल तथा मधेपुरा जिला में संभावित बाढ़ 2025 को मद्देनजर सभी प्रकार के दवाओं के भंडारण हेतु चिकित्सा पदाधिकारी को पर्याप्त व्यवस्था करने हेतु निदेश दिया गया है।

12.मोबाईल मेडिकल टीम एवं मेडिकल कैम्पः-

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सहरसा जिला के सभी बाढ़ राहत केन्द्रों के लिए मोबाईल मेडिकल टीम का ससमय गठन कर लिया जायेगा तथा जिला के भंडार में पर्याप्त मानव दवा उपलब्ध है। सुपौल तथा मधेपुरा जिला में संभावित शरण स्थलों हेतु आवश्यक चिकित्सक पारा मेडिकल स्टाफ, मोबाईल मेडिकल टीम गठन करने हेतु निदेश दिया गया है।

13.शुद्ध पेय जलः-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि सहरसा जिला में वर्ष-2024-25 में मरम्मत किये गये चापाकलों की संख्या 1424 है एवं मरम्मति करने के लिए चापाकलों का लक्ष्य 1971 है, जिसके निविदा का कार्य प्रक्रियाधीन है। सहरसा जिला में वर्ष-2024-25 में नये चापाकल अधिष्ठापन का लक्ष्य 60 के विरूद्ध उपलब्धि 60 है, वर्ष-2025-26 में नये चापाकल अधिष्ठापन का लक्ष्य 400 है, जिसके लिए एजेंसी का चयन कर लिया गया है। सुपौल जिला में संभावित बाढ़ एवं सुखाड़, 2025 हेतु कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल को चिह्नित स्थानों पर चापाकलों की व्यवस्था करने हेतु निदेश दिया गया है। मधेपुरा जिला में वर्ष-2024-25 में मरम्मत किये गये चापाकलों की संख्या 1030 है।

14.जेनरेटर सेट/पेट्रोमैक्स/महाजालः-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि सहरसा जिला में बाढ़ एवं सुखाड़ के मद्देनजर विद्युत संकट से संबंधित सभी आवश्यक सामग्रियों को सूचीबद्द कर कार्य किया जा रहा है। सुपौल जिला में जेनरेटर सेट, पेट्रोमैक्स एवं अन्य सामग्री आदि की व्यवस्था विभागीय निदेश के आलोक में ससमय कर ली जायेगी। मधेपुरा जिला में महाजाल क्रय हेतु आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना से 3,00000/-तीन लाख रूपये आवंटन की मांग की गयी है। साथ ही जेनरेटर से /पेट्रोमैक्स/टेन्ट/खाली सीमेंट की बोरियाँ आदि की व्यवस्था अंचल स्तर से ससमय कर ली जायेगी।

15. सड़कों की मरम्मतिः-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि सहरसा जिला में पुल/पुलिया एवं कलभर्ट के वेंट की सफाई करा ली जायेगी ताकि बरसात के समय पानी का सुगम बहाव हो सके तथा बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त पथों की मरम्मति हेतु संवेदकों का चयन पथ अंचल, सहरसा द्वारा ससमय कर ली जायेगी। सुपौल जिला में पुल पुलिया के नीचे अधिकांश वेंट की सफाई कर दी गयी है तथा शेष बचे वेंट की सफाई 31 मई तक कर ली जायेगी। वर्ष 2024 में मधेपुरा जिला में सभी पथों को मोटरेबल कर दिया गया है तथा वेंट की सफाई की गई है।

16. एन0डी0आर0एफ0/एस0डी0आर0एफ0 तथा गोताखोर की उपलब्धताः-

सहरसा जिला में एक एस0डी0आर0एफ0 टीम प्रतिनियुक्त है। सुपौल जिला में एन0डी0आर0एफ0 की टीम प्रतिनियुक्त है, जिसके द्वारा Mock Exercise/Mock Drill करायी जा रही है। मधेपुरा जिला में एस0डी0आर0एफ0 की 25 मानव बल युक्त टीम प्रतिनियुक्त है, जिसके द्वारा अंचल/पंचायत स्तर पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम करायी जा रही है।

17. नाव/लाईफ जैकेट/मोटरबोट :-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि सहरसा जिला में कुल 149 नावों का एकरारनामा प्रक्रियाधीन है, प्रतिशिक्षित 300 आपदा मित्र तथा 51 गोताखोर हैं। सुपौल जिला में मात्र दो मोटरबोट परिचालन योग्य है शेष सभी मोटरबोट खराब हैं। लाईफ जैकेट क्रय हेतु विभागीय निदेश के आलोक में निविदा की प्रक्रिया कर ली जायेगी। मधेपुरा जिला में 77 लाईफ जैकेट

उपलब्ध हैं। एस. डी. आर. एफ. के पास 43 लाईफ जैकेट है। एस. डी. आर. एफ. के पास 08 मोटरबोट एवं 26 मोटरबोट चालक है।

18. आपातकालीन नियंत्रण कक्षः-

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि सहरसा में ससमय नियंत्रण कक्ष स्थापित कर लिया जायेगा। सुपौल जिला में जिला स्तर पर जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र -सह- नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर ली गई है, जो नियमित रूप से चल रहा है। मधेपुरा जिला में जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र -सह- नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर ली गई है, जो नियमित रूप से चल रहा है तथा इसमें दो Hunt Line की सुविधा भी उपलब्ध है।

19. **वैकल्पिक/आकस्मिक फसल योजनाः-**

समीक्षा के क्रम में बताया गया कि सहरसा एवं मधेपुरा जिला में संभावित बाढ़ 2025 हेतु वैकल्पिक/आकस्मिक फसल योजना तैयार कर ली गयी है।

प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत निम्नांकित निदेश दिए गए-

1. तीनों जिलों में पिछले बाढ़ वर्ष का सभी तरह के अनुदानों/अनुग्रह अनुदानों के भुगतान के लंबित मामलों का निष्पादन किया जाना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। मधेपुरा जिला में 156 कटाव पीड़ित परिवारों को यथाशीघ्र पुनर्वासित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
2. सभी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में ससमय सामुदायिक रसोई एवं उपयुक्त शरण स्थलों का चयन कर वहाँ पी0एच0ई0डी0 द्वारा स्वच्छ पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया।
3. जिन स्थलों पर बार- बार कटाव होता है वहाँ न्यूनतम सुरक्षित दूरी का निर्धारण कर आर्थिक गतिविधि कम/ बंद करने हेतु व्यापक प्रचार- प्रसार करने का निदेश दिया गया।
4. प्रशिक्षित गोताखोरों की सूची मोबाईल/ दूरभाष नं0 के साथ जिले के नियंत्रण कक्ष में संधारित करने एवं इसकी सूची पंचायत के जनप्रतिनिधियों के बीच उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
5. जनवितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले राशन को संबंधित डीलर द्वारा बाढ़ आने की स्थिति में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वितरण नियमानुसार करवाने का निदेश दिया गया।
6. गठित मेडिकल टीमों को जीवन रक्षक दवाईयों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नियमित रूप से दौरा करने का निदेश दिया गया साथ ही पशु चिकित्सकों को भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर आवश्यकतानुसार दवाई का वितरण करने का निदेश दिया गया।
7. सर्प विषरोधी सूई, एंटी रेवीज टीका एवं ब्लिचिंग पाउडर सहित सभी जीवन रक्षक दवाएँ पर्याप्त मात्रा में भंडारण करते हुए हमेशा आपात स्थिति में तैयार रखने का निदेश दिया गया, साथ ही मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति निर्धारित समय पर कर लेने का निदेश दिया गया।
8. बिजली के क्षतिग्रस्त खंभो एवं तारों की मरम्मति करने, Covering करने के साथ ही क्षतिग्रस्त सड़कों/ पुलिया आदि की मरम्मति करने का निदेश गया।
9. तीनों जिलों के जिला पदाधिकारियों को बाढ़ प्रवण जिले में पशु आश्रय स्थल के साथ- साथ पशुपालन विभाग से पशु-चारा की उपलब्धता एवं आरवश्यकतानुसार भंडारण करने का निदेश दिया गया।
10. तीनों जिला के समादेष्टा, एन0डी0आर0एफ0 एवं एस0 डी0आर0एफ0 को अपने सभी टीमों को बाढ़ की स्थिति में अलर्ट मोड में रखने का निदेश तीनों जिला पदाधिकारियों को दिया गया ।

साथ ही एन0डी0आर0एफ0 एवं एस0 डी0आर0एफ0 को नियमित रूप से अंचल/पंचायत स्तर पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम शिविर लगाने तथा Mock Exercise/Mock Drill कराने का निदेश दिया गया।

11. तीनों जिला में टेन्ट पंडाल, खाद्य सामग्री, पॉलिथीन शीट्स एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों की आवश्यकतानुसार व्यवस्था करने का निदेश दिया गया।
12. तीनों जिला में जल संसाधन विभाग से बाढ़ निरोधात्मक कार्य ससमय पूर्ण करा लेने का निदेश दिया गया।
13. पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग को सभी पुल-पुलियों के सफाई का कार्य ससमय पूर्ण करा लेने का निदेश दिया गया।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

ज्ञापांक-34-02/2025........./वि0 सहरसा, दिनांक मार्च,2025

प्रतिलिपि-1. अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, सहरसा,सुपौल एवं मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, सहरसा,सुपौल एवं मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

ज्ञापांक-34-02/2025.1438/वि0 सहरसा, दिनांक 24 मार्च,2025

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

23/3/25
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा